



भारत का राजपत्र The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)

PART II—Section 3—Sub-section (i)

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 193]

नई दिल्ली, बुधवार, मार्च 15, 2017/फाल्गुन 24, 1938

No. 193]

NEW DELHI, WEDNESDAY, MARCH 15, 2017/PHALGUNA 24, 1938

सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 14 मार्च, 2017

सा.का.नि. 248(अ).—केन्द्रीय सरकार, राष्ट्रीय राजमार्ग अधिनियम, 1956 (1956 का 48) की धारा 9 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, राष्ट्रीय राजमार्ग फीस (दरों का निर्धारण एवं संग्रहण) नियम, 2008 में और संशोधन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाती है, अर्थात्:—

- संक्षिप्त नाम और प्रारंभ.—(1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम राष्ट्रीय राजमार्ग फीस (दरों का निर्धारण एवं संग्रहण) संशोधन नियम, 2017 है।
(2) ये राजपत्र में उनके प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे।
- राष्ट्रीय राजमार्ग फीस (दरों का निर्धारण एवं संग्रहण) नियम, 2008 के नियम 3 में, -
 - उप-नियम 4 में, "ट्रैक्टरों" शब्द के स्थान पर "ट्रैक्टरों, कंबाइन हार्वेस्टरों" शब्द रखे जाएंगे।
 - पहले परंतुक में, "ट्रैक्टरों" शब्द के स्थान पर "ट्रैक्टरों, कंबाइन हार्वेस्टरों" शब्द रखे जाएंगे।

[फा. सं. 39011/02/2017(टोल)]

दक्षिता दास, संयुक्त सचिव

टिप्पण: मूल नियम, भारत के राजपत्र के भाग II, खंड 3, उप-खंड (i) में सा. का. नि. 838(अ), तारीख 5 दिसंबर, 2008 द्वारा प्रकाशित किए गए थे और तत्पश्चात् से सा. का. नि. 950(अ), तारीख 3 दिसंबर, 2010; सा. का. नि. 15(अ), तारीख 12 जनवरी, 2011; सा. का. नि. 756(अ), तारीख 12 अक्टूबर, 2011; सा. का. नि. 778(अ), तारीख 16 दिसंबर, 2013; सा. का. नि. 26(अ), तारीख 16 जनवरी, 2014; सा. का. नि. 831(अ), तारीख 21 नवंबर, 2014; सा. का. नि. 02(अ), तारीख 29 दिसंबर, 2014; सा. का. नि. 220(अ), तारीख 23 मार्च, 2015 और सा. का. नि. 585(अ), तारीख 8 जून, 2016 तथा सा. का. नि. 1114(अ), तारीख 2 दिसंबर, 2016 द्वारा संशोधित किए गए।

MINISTRY OF ROAD TRANSPORT AND HIGHWAYS

NOTIFICATION

New Delhi, the 14th March, 2017

G.S.R. 248(E).—In exercise of the powers conferred by section 9 of the National Highways Act, 1956 (48 of 1956), the Central Government hereby makes the following rules further to amend the National Highways Fee (Determination of Rates and Collection) Rules, 2008 namely:—

1. Short title and commencement.—(1) These rules may be called the National Highways Fee (Determination of Rates and Collection) Amendment Rules, 2017.

(2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.

2. In the National Highways Fee (Determination of Rates and Collection) Rules, 2008, in rule 3, -

(i) In sub-rule (4), for the word "tractors", the words "tractors, combine harvesters" shall be substituted;

(ii) In the first proviso, for the word "tractors", the words "tractors, combine harvesters" shall be substituted.

[F. No. 39011/02/2017(Toll)]

DAKSHITA DAS, Jt. Secy.

Note : The principal rules were published in the Gazette of India, Part II, Section 3, Sub-section (i) *vide* notification number G.S.R. No. 838(E), dated the 5th December, 2008 and subsequently amended *vide* G.S.R. No. 950(E), dated the 3rd December, 2010; G.S.R. No. 15(E), dated the 12th January, 2011; G.S.R. No. 756(E), dated the 12th October, 2011; G.S.R. No. 778(E), dated the 16th December, 2013; G.S.R. No. 26(E), dated the 16th January, 2014; G.S.R. No. 831(E), dated the 21st November, 2014; G.S.R. No. 02(E), dated the 29th December, 2014; G.S.R. No. 220(E), dated the 23rd March, 2015; G.S.R. No. 585(E), dated the 8th June, 2016 and G.S.R. No. 1114(E), dated 2nd December, 2016.

SARVESH KUMAR
SRIVASTAVA

Digitally signed by SARVESH
KUMAR SRIVASTAVA
Date: 2017.03.15 20:05:24
+05'30'